यह निरीक्षण प्रतिवेदन **बाल विकास परियोजना अधिकारी, रूड़की शहर हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **बाल विकास परियोजना अधिकारी, रूड़की शहर हरिद्वार** के माह 04/2015 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जितेन्द्र सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25.09.2017 से 28.09.2017 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

(ii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **बाल विकास परियोजना अधिकारी, रूड़की शहर हरिद्वार** का मुख्य कार्यकलाप समस्त 0-6 वर्ष के लाभार्थियों एवं गर्भ/धात्रियों को पोषाहार से लाभान्वित करना तथा नंदा देवी योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।

(ब) **बाल विकास परियोजना अधिकारी, रूड़की शहर हरिद्वार** एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र रूड़की का शहरी क्षेत्र में स्थित है।

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	0	0	17.47	17.36	309.13	305.86		3.38
2016-17	0	0	25.94	22.09	357.03	333.36		27.52
2017-18 Aug.			17.82	9.25	143.80	80.51		71.86

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16		----------	शून्य	----------	
2016-17		----------	शून्य	----------	
2017-18 (Upto Aug. 17)		---------	शून्य	---------	

(iv) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत निदेशालय स्तर से प्राप्तहै। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(v) सचिव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ. 5. सुपर वाइजर 7. आँगनबाड़ी कार्यकत्री 8. आँगनबाड़ी सहायिका

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **बाल विकास परियोजना अधिकारी, रूड़की शहर, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **बाल विकास परियोजना अधिकारी, रूड़की शहर, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 09/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II (ब)</u>

प्रस्तर 01 :- विभागीय उदासीनता एवं अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक एवं धनराशि रुपए 31.10 लाख का अनियमित भुगतान।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना 'हमारी कन्या हमारा अभियान योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित बालिकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्तें पूरी करते हों चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जीवित सन्तानें भी हों को दिया जाएगा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के रूप में रूपये 15000/- की धनराशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त बालिका के अभिभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकतम एक माह के अन्दर 5000/- की धनराशि A/c Payee चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी। शेष धनराशि रूपये 10,000/- एफ॰ डी॰ के माध्यम से बैंक में कन्या तथा उसके माता-पिता के नाम से संयुक्त रूप से करायी जायेगी। द्वितीय किश्त के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता-पिता के खाते मे E-transfer के माध्यम से रूपये 5000/- की धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। शेष धनराशि को पुनः 8 वर्षों की अवधि के लिए एफ॰ डी॰ करा दी जायेगी जिसमें से तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थी बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, रुड़की शहर, हरिद्वार के नन्दा देवी योजना के लेखों की नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को रुपए 5000.00 की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम भुगतान किया गया था तथा रूपये 10000.00 की एफ़डीआर बनाकर दे दिया जा रहा था जबकि उक्त एफ़डीआर विभाग के पास होनी चाहिए थी जिससे कि 10 वर्ष की आयु पूरी होने पर रुपए 5000.00 का भुगतान किया किया जा सके और शेष राशि ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर तथा अन्य शर्ते पूरी होने पर भुगतान किया जा सके। परन्तु विभाग द्वारा नियमो एवं प्रावधानों के इतर 311 लाभार्थियों को रूपये 10000.00 प्रति लाभार्थी की दर से प्रोत्साहन राशि रुपए 31.10 लाख का भुगतान 10 वर्ष की एफ़डीआर के रूप कर दिया गया था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा लाभार्थियों को रुपए 5000.00 की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम भुगतान किया गया था तथा रूपये 10000.00 की एफ़डीआर बनाकर लाभार्थी को दे दिया गया था जबकि उक्त एफ़डीआर विभाग के पास होनी चाहिए थी, जिससे कि 10 वर्ष की आयु पूरी होने पर रुपए 5000.00 का भुगतान किया किया जा सके और शेष राशि ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर तथा अन्य शर्ते (पुनः 8 वर्षों की अवधि के लिए एफ॰ डी॰ करा दी जायेगी जिसमें से तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थी बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने

तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी) पूरी होने पर भुगतान किया जा सके। इस प्रकार बालिकाओं की 10 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थियों को किस प्रकार भुगतान किया जा सकेगा। जबकि विभाग द्वारा लाभार्थियों को प्रथम किश्त के समय 10000.00 प्रति लाभार्थी की दर से एफ़डीआर की प्रोत्साहन राशि 31.10 लाख का भुगतान किया जा चुका था, विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही न केवल योजना के प्राविधानों का उल्लंघन था, अपितु योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक भी था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि 247 एफ़डीआर जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के द्वारा बनायी गईं थी तथा उनके निर्देशानुसार वितरण की गयीं शेष 64 एफ़डीआर अभी लाभार्थियों को वितरित नहीं की गयीं । लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाता है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि योजना के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान चैक के द्वारा किया जाना था तथा 247 लाभार्थियों को रूपये 10000.00 की एफ़डीआर बनाकर लाभार्थी को दे दिया गया था जबकि उक्त एफ़डीआर विभाग के पास होनी चाहिए थी, जिससे कि 10 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थियों रुपए 5000.00 का भुगतान किया किया जा सके। जिससे स्पष्ट था कि विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही न केवल योजना के प्राविधानों का उल्लंघन था, अपितु योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक भी था।

अतः विभागीय उदासीनता एवं अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक एवं धनराशि रुपए 31.10 लाख का अनियमित भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 01 :- 1.52 लाख के अर्जित ब्याज एवं की धनराशि को शासन को प्रेषित न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं° 99/ xxvii (14) 2009 दिनांक 03.12.2009 के द्वारा ब्याज की धनराशि को तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए। यदि किसी मद में ब्याज की धनराशि को व्यय किया जाना हो तो वित्त विभाग से पृथक शासनादेश उपलब्ध होना चाहिए तथा उस धनराशि को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराशि की मांग शासन से की जाएगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी रुड़की शहर, हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2015-16 से 2017-18 (अगस्त 2017 तक) रू. 110946 अर्जित किया गया था।

जिसके सापेक्ष रू. 48993 चालान द्वारा जमा किये गये तथा शेष रू. 61953 जमा कराये जाने हेतु लम्बित थे।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ने अवगत कराया कि रू. द्वारा 110946 के सापेक्ष धनराशि रुपए 48993/- चालान द्वारा प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा करा दिये गए हैं शेष धनराशि रुपए 61953 लाख को विभाग द्वारा जमा करा दिया जायेगा।

इकाई के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि विभाग द्वारा एक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी विभाग द्वारा शासन को धनराशि वापस नहीं की गयी। जिससे न केवल उक्त धनराशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध है, जिसका विकास कार्यों पर उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः विभाग द्वारा रू° 61953 लाख के अर्जित ब्याज की धनराशि को शासन को प्रेषित न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने **बाल विकास परियोजना अधिकारी, रूड़की शहर हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री मोहित चौधरी	जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास, हरिद्वार	04/2015 से 01.06.15
2.	श्री मोहित चौधरी	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रूड़की शहर	02.06.15 से 06.07.15 तक
3.	श्री धर्मवीर सिंह	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रूड़की शहर	07.07.15 से 10.03.15 तक
4.	श्रीमति जुलेखा खान	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रूड़की शहर	11.03.15 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **बाल विकास परियोजना अधिकारी, रूड़की शहर हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र